अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया,R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 281 / 21 (वाद)

GCMS NO: 2021/538

अनवान

1. श्री रामलाल पिता मोतीलाल जी जाट निवासी किया का खेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
2. श्री धनराज पिता मोतीलाल जी जाट निवासी किया का खेडा तहसील वल्लभगनर जिला उदयपुर राज।

.........वादी

बनाम

1. श्री उंकारलाल पिता वगता चमार निवासी किया का खेडा तहसील वल्लभगनर जिला उदयपुर राज।
2. श्री भंवरलाल पिता वगता चमार निवासी किया का खेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
3. श्री सम्पतलाल पिता भंवरलाल जी ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।
4. श्री भंवरलाल पिता हरलाल जी मेनारिया ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री प्रभुलाल पिता हरलाल जी मेनारिया ब्राह्मण निवासी वरणी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।.
6. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार/ उप पंजियक वल्लभनगर तहसील वल्लभगनर जिला उदयपुर राज.।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.10.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा वरणी पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	धनराज पुत्र मोतीलाल जाट हिस्सा पूर्ण सा. कियाखेडा	1065 / 1 1066 / 2	0.235 0.05	पूर्व अनुसार	0.47 0.15
	योग	किता 2	0.285	–	0.62
2.	रामलाल पुत्र मोतीलाल जाट हिस्सा पूर्ण सा. किया खेडा	1065 / 2 1064 / 2	0.115 0.17	पूर्व अनुसार	0.23 0.34
	योग	किता 2	0.285	–	0.57
3.	उंकारलाल पुत्र वगता जाति जटिया हिस्सा 1/2 सा. किया खेडा भंवरलाल पुत्र वगता जाति जटिया हिस्सा 1/2 सा. कियाखेडा	1068 1066 / 1	0.08 0.49	पूर्व अनुसार	0.24 1.47
	योग	किता 2	0.57	–	1.71
4.	सम्पतलाल पिता भंवरलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा पूर्ण सा.देह खातेदार	1064 / 1	0.57	पूर्व अनुसार	1.14
	योग	किता 1	0.57	–	1.14

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।